रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1
PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 26, 1986/पौष 5, 1908
No. 26] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 1986/PAUSA 5, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

I8/2/87

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचनाएं

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1986

निर्देश सं. आई.ए.सा./एक्यू. 6/37ई/3-86/1742:—अतः मुझे, श्री एस सी गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम,' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000 रु. से अधिक है और जिसकी संख्या है तथा जो प्लाट नं. 3, तीसरा खंड, 737 वर्ग, फीट, कम्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज 6 नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)/1961 के अधीन तारीख मार्च 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे ये विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित-बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मैसर्स पंकज एंटरप्राइजिस,
ई-301, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली। (अन्तरक)

2. श्री पंकज गुप्ता, मैरिज ट्रस्ट
13, कम्युनिटी सेंटर, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

737 वर्ग फीट, तीसरा खंड, प्रोपोज्ड बिल्डिंग,
प्लाट नं. 3, कम्यूनिटी सेंटर
प्रीत विहार, दिल्ली ।

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE

NOTICES UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

New Delhi, the 24th December, 1986

Ref. No. IAC/Acq. VI/37EE/3-86-1742.—Whereas I, S.C. Gupta, being the Competent Authority under section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable, property, having a fair market value exceeding Rs. 1 lakh and bearing Plot No. 3, situated at Community Centre, Preet Vihar, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been regd. in the office of the registering officer of I.T. Act, 1961 IAC Range, New Delhi on March 1986 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor (s) and transferee (s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :

(a) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of this Act, or the Wealth-tax Act, 1952 (27 of 1957)

(b) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer. and|or

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269-D of the said Act to the following persons namely:—

1. M/s. Pankaj Enterprises
E-301, East of Kailash, New Delhi.
(Transferor)

2. Pankaj Gupta Marriage Trust,
13, Community Centre,
New Friends Colony New Delhi.
(Transfereree)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the official gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

"737 sq. ft. area on IIIrd floor in the proposed building at Plot No. 3, Community Centre Preet Vihar, Delhi."

निर्देश सं. आई ए.सी./एक्यू 6/37ईई/3/86/1736:—अतः मुझे, सी एस. सी. गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम') कहा गया है की धारा 269ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000 रु. से अधिक है और जिसकी संख्या है तथा जो प्लाट नं० 3 कम्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज 6, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख मार्च 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम से कम दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल से पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. मैसर्स पंकज इंटरप्राइजिस
ई-301, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली (अन्तरक)

2. मिस पूनम गुप्ता ई-301, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबन्ध में कोई भी आक्षेप;

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

क्षेत्र 470 वर्ग फीट 1, प्रथम खंड, 1 प्रोपोजड बिल्डिंग
प्लाट नं. 3, कम्यूनिटी सेंटर,
प्रीत विहार, दिल्ली।

Ref. No. IAC|Acq. VI|37EE-3-86-1736.—Whereas I, S. C. Gupta, being the Competent Authority under section 269-B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Re. 1 lakh and bearing Plot No. 3, situated at Community Centre, Preet Vihar, Delhi and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been regd. in the office of the registering officer of I.T. Act, 1961 IAC Range, New Delhi on March 1986, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor (s) and transferee (s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:

(a) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of this Act, or the Wealth-tax Act, 1952 (27 of 1957);

(b) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and|or

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269-D of the said Act to the following persons namely:—

1. M|s. Pankaj Enterprises
E-301, East of Kailash,
New Delhi.
(Transferee)

2. Miss Poonam Gupta E-301, East of Kailash
New Delhi.
(Transferaree)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the official Gazette for a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the official gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

"470 sq. ft. area on 1st floor in the proposed building at Plot No. 3, Community Centre, Preet Vihar, Delhi".

निर्देश सं. आई. ए. सी./एक्यू./6/37ईई/3-86/1747:—अतः मुझे, मैं, एस. सी. गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी संख्या—————है तथा जो प्लाट नं. 3, प्रीत विहार, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज 6 नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख मार्च 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मैसर्स पंकज एंटरप्राइजिस
ई-301, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली।    (अन्तरक)

2. श्री पंकज गुप्ता, ई-301 ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

"873 वर्ग फीट, तीसरा खंड, प्रस्तावित बिल्डिंग, प्लाट नं० 3, प्रीत विहार, दिल्ली।

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

"873 sq. ft. on 3rd floor in the proposed building at Plot No. 3, Preet Vihar, Delhi."

Ref. No. IAC/Acq. VI/37EE/3-86/1747-Whereas I, S. C. Gupta, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1 lakh and bearing Plot No. 3, situated at Preet Vihar, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been regd. in the office of the registering officer of I.T. Act, 1961 IAC Range, New Delhi VI on March 1986, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor (s) and transferee (s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of

(a) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of this Act, or the Wealth-tax Act, 1952 (27 of 1957)

(b) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

Now, therfeore, in pursuance of Section 269-C, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely:—

1. M/s. Pankaj Enterprises
E-301, East of Kailash,
New Delhi.
(Transferor)

2. Sh. Pankaj Gupta, E-301, East of Kailash,
New Delhi.
(Transferee)

निर्देश सं. आई. ए. सी./एक्यू./6/37ईई/3-86/1748.—अतः मुझे, श्री एस. सी. गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है और जिसकी संख्या प्लाट नं. 3, है तथा जो प्रीत विहार, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज 6, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख मार्च 1986 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित-बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स पंकज एंटरप्राइसिस
ई-301, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली।
(अन्तरक)

2. मिस पूनम गुप्ता मैरिज ट्रस्ट,
सी-422, निर्माण विहार, दिल्ली।
(अन्तरिती)

यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

"702 वर्ग फीट क्षेत्र, प्रथम खंड, प्रोपोज्ड बिल्डिंग प्लाट नं० 3, प्रीत विहार, कम्युनीटी सेंटर, नई दिल्ली ।

तारीख : 24-12-86

मोहर :

ए. सी. गुप्ता, सक्षम प्राधिकारी

Ref. No. IAC|Acq. R- VI|37EE|3-86|1748.—Whereas I, S. C. Gupta, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable, property, having a fair market value exceeding Rs. 1 lakh and bearing Plot No. 3, Preet Vihar, Community Centre, Delhi, situated at Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been regd. in the office of the registering officer of I.T. Act, 1961 IAC Range, New Delhi on March 1986, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor (s) and transferee (s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of

(a) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of this Act, or the Wealth-tax Act, 1952 (27 of 1957)

(b) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and|or

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely—

M/s. Pankaj Enterprises
E-301, East of Kailash
New Delhi.

(Transferor)

Miss Poonam Gupta, Marriage Trust, C-422, Nirman Vihar, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the official gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

"702 sq. ft. area on 1st floor in the proposed building at Plot No. 3, Preet Vihar, Community Centre, Delhi".

Dated 24th Dec. 1986.

S. C. GUPTA, Competent Authority

1359 GI/86—2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987